न्यायालय मुंसिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–251 सन् 2022

दीनदयाल राय....................................वादी।

बनाम

मदन राय वो अन्य ..................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 04.03.2024

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आदेश 26 नियम 9 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 12.02.2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त मुकदमा जमीमा नं0 01 से अतिक्रमण हटाने हेतु दाखिल किया है। जमीमा नं0 01 अर्जीनालिश के वास्तविक अतिक्रमण अभिलेख पर आना जरूरी है। इसलिए उपरोक्त वाद में सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त का नियुक्ति कर जमीमा नं0 01 के वैज्ञानिक ढंग से नापी कर प्रतिवेदन आना आवश्यक है। उपरोक्त वाद में सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त का नियुक्ति कर जमीमा नं0. 01 में अतिक्रमित एराजी का प्रतिवेदन मंगा लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि जमीमा नं0 01 अर्जीनालिश में किए गए अतिक्रमित एराजी का प्रतिवेदन सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्ति कर मंगाने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन पर नो ऑब्जेक्श लिखा गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर अतिक्रमण से संबंधित भूमि का विवरण अभिलेख पर लाने हेतु आवेदन दाखिल किया है। प्रतिवादी की ओर से भी उनके आवेदन पर नो आब्जेक्शन लिखा गया है। ऐसी परिस्थिति में तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर आना वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 12.02.2024 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3000/–रूपया नजारत में जमा करें।

वाद दिनांक.....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर, सारण।